



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275326
CG-DL-E-10082026-275326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4237]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4415(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के संगरूर जिले में NH-NE5 के कि.मी. 211.3 से कि.मी. 228 (मलेरकोटला) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एस डी एम मलेरकोटला को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के संगरूर जिले में NH-NE5 के कि.मी. 211.3 से कि.मी. 228 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: संगरूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मलेरकोटला					
गांव का नाम: बीड़ अहमदाबाद					
1	13	निजी	कृषि	0.215 (हेक्टेयर)	0.215
2	159/67	निजी	कृषि	0.0074 (हेक्टेयर)	0.0074
3	202/158/67	निजी	कृषि	0.04637 (हेक्टेयर)	0.04637
गांव का नाम: मानक माजरा					
4	120	निजी	कृषि	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
5	296	निजी	कृषि	0.0379 (हेक्टेयर)	0.0379
6	298	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
7	397	निजी	कृषि	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
गांव का नाम: भैणी कलौं					
8	1006/727	निजी	कृषि	0.1517 (हेक्टेयर)	0.1517
9	151	निजी	कृषि	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
10	157	निजी	कृषि	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
11	178	निजी	कृषि	0.0843 (हेक्टेयर)	0.0843
12	274	निजी	कृषि	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
13	286	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
14	483	निजी	कृषि	0.1829 (हेक्टेयर)	0.1829
15	718	निजी	कृषि	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169

16	739	निजी	कृषि	0.0063 (हेक्टेयर)	0.0063
17	746	निजी	कृषि	0.1054 (हेक्टेयर)	0.1054
18	752	निजी	कृषि	0.0295 (हेक्टेयर)	0.0295
19	766	निजी	कृषि	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169
20	907/743	निजी	कृषि	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
गांव का नाम: अहमदाबाद					
21	292/236	निजी	कृषि	0.01686 (हेक्टेयर)	0.01686
22	375/210-211-235/3	निजी	कृषि	0.012645 (हेक्टेयर)	0.012645
23	376/210-211-235/3	निजी	कृषि	0.012645 (हेक्टेयर)	0.012645
24	377/210-211-235/3	निजी	कृषि	0.012645 (हेक्टेयर)	0.012645
25	378/210-211-235/3	निजी	कृषि	0.012645 (हेक्टेयर)	0.012645
Total					1.08001

[फा. सं. NHA/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4415(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5 in the stretch of land from Km. 211.3 to Km. 228 (Malerkotla) in the district of SANGRUR in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, S D M Malerkotla in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-NE5 in the stretch of land from Km. 211.3 to Km. 228 (Malerkotla) in the district of SANGRUR in the state of PUNJAB

State: PUNJAB			District: SANGRUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Malerkotla					
Village: Bir Ahemedbad					
1	13	Private	Agriculture	0.215 (Hectare)	0.215
2	159/67	Private	Agriculture	0.0074 (Hectare)	0.0074
3	202/158/67	Private	Agriculture	0.04637 (Hectare)	0.04637
Village: Manak Majra					
4	120	Private	Agriculture	0.0152 (Hectare)	0.0152
5	296	Private	Agriculture	0.0379 (Hectare)	0.0379
6	298	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
7	397	Private	Agriculture	0.0042 (Hectare)	0.0042
Village: Bhaini Kalan					
8	1006/727	Private	Agriculture	0.1517 (Hectare)	0.1517
9	151	Private	Agriculture	0.0126 (Hectare)	0.0126
10	157	Private	Agriculture	0.0084 (Hectare)	0.0084
11	178	Private	Agriculture	0.0843 (Hectare)	0.0843
12	274	Private	Agriculture	0.0126 (Hectare)	0.0126
13	286	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
14	483	Private	Agriculture	0.1829 (Hectare)	0.1829
15	718	Private	Agriculture	0.0169 (Hectare)	0.0169
16	739	Private	Agriculture	0.0063 (Hectare)	0.0063
17	746	Private	Agriculture	0.1054 (Hectare)	0.1054
18	752	Private	Agriculture	0.0295 (Hectare)	0.0295
19	766	Private	Agriculture	0.0169 (Hectare)	0.0169
20	907/743	Private	Agriculture	0.0084 (Hectare)	0.0084
Village: Ahemdabad					
21	292/236	Private	Agriculture	0.01686 (Hectare)	0.01686

22	375/210-211-235/3	Private	Agriculture	0.012645 (Hectare)	0.012645
23	376/210-211-235/3	Private	Agriculture	0.012645 (Hectare)	0.012645
24	377/210-211-235/3	Private	Agriculture	0.012645 (Hectare)	0.012645
25	378/210-211-235/3	Private	Agriculture	0.012645 (Hectare)	0.012645
Total					1.08001

[F. No. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director